<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

गोपाराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 81/2019</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>03.06.19</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाराम विश्नोई पता प्लॉट नं.28, रातानाडा विस्तार योज्ना, रातानाडा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.04.2019 में उसके द्वारा (1) खसरा नं0 324 सेवकी कला में आवंटन आदेश दिनांक 28.12.1975 एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के एव नायब तहसीलदार भोपालगढ राजस्व केम्प बुचेटी के आदेश क्रमांक 83/716 दिनांक 14.02.1983 की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>